18 मकानों को तोड़ा

एलिवेटेड रोड के निर्माण में बन रहे थे बाधक

ग्वालियर, 25 फरवरी. शहर में लूप निर्माण के दायरे में आ रहे 18 मकानों को चिन्हित कर हटाया गया है. प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर संबंधित मकान मालिकों को समय दिया था. निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. मौके पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री जोगिन्दर सिंह ने बताया है कि एलिवेटेड रोड के लूप के निर्माण बाधक बन रहे 18 मकानों को सुबह से कार्यवाही हटा दिया. शेष 2 पिलरों के निर्माण में बाधक अतिक्रमण में आने वाले मकानों के मालिक हाईकोर्ट में स्टे पर है. इसलिये विभाग हाईकोर्ट के स्टे हटाने के लिये कार्यवाही कर रहा है. जैसे स्टे हटेगा को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी. अभी फिलहाल हटाये गये अतिक्रमण के जद में आये मकानों के निवासियों के लिये टीनशेड बना दिया है. जिसमें लोगों अपना सामान रख लिया है. अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में पुलिस, नगरनिगम का मदालखत दस्ता और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यवाही की गयी है. एलिवेटेड रोड बनने के बाद शहर के इस हिस्से में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है. खासकर पीक ऑवर में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी. स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने परियोजना का समर्थन किया है, हालांकि प्रभावित परिवारों ने मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई है. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, संशोधित डिजाइन को अंतिम स्वीकृति के लिए फिर से भेजा जाएगा. मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य तेज गति से शुरू किया जाएगा.

> भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षित स्मारक क्षेत्र के नजदीक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को अब नया मोड़ मिल गया है. एएसआई से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लोक निर्माण विभाग ने परियोजना के लूप डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. संशोधित योजना के तहत बाधक बन रहे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें अब तक 18 मकानों को हटाया जा चुका है. एएसआई मोनोमेंट के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना अनुमति संभव नहीं है. इसी नियम के चलते प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के मूल डिजाइन को मंजूरी नहीं मिल पाई.

पूर्व विधायक बन्ना ने समर्थकों के साथ दिया धरना

रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कथित अवैध वसूली का विरोध

नवभारत न्यूज

रीवा, 25 फरवरी. रीवा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कथित अवैध वसूली को लेकर बुधवार की सुबह जमकर हंगामा हुआ. पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना अपने समर्थको के साथ अचानक पार्किंग स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठ गये. जिसके बाद हडकम्प मच गया,

मौके पर रेलवे के अधिकारी और पुलिस पहुंची. दरअसल यहा लंबे समय से निर्धारित दर से ज्यादा पैसे ठेकेदार द्वारा वसूली की शिकायते मिल रही थी और मारपीट के भी आरोप लग चुके थे. उसके बाद भी कोई कार्यवाही नही की गई. बुधवार की सुबह मऊगंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेन्द सिंह बन्ना जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो लोगो ने शिकायत की. जिसके बाद सीधे वह पार्किंग स्थल पर पहुंचे और धरने में बैठकर विरोध शुरू कर दिया. पूर्व विधायक का आरोप था कि पार्किंग में लम्बे समय से तय दरो से अधिक पैसे वसूले जा रहे है. उन्होने साफ शब्दो में कहा कि रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक जगह पर इस तरह की मनमानी नही चल सकती. अगर तय रेट से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो यह जनता के साथ अन्याय है. उन्होने कहा कि यह गुंडागर्दी बर्दास्त नही की जाएगी. साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि अगर अवैध वसूली तुरंत बंद नही हुई तो आंदोलन किया जायेगा. मौके पर पूर्व विधायक ने उस युवक को भी बुलाया जिसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी जिससे उसका हाथ टूट गया था. ज्यादा पैसा लिये जाने का विरोध किया था जिसके बाद उसके साथ मारपीट हुई थी.

अधिकारियों ने ये दिया आश्वासन...

विरोध के दौरान मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया और कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. यदि अवैध वसूली एवं मारपीट की बात सही पाई जाती है तो संबंधित लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. आश्वासन के बाद पूर्व विधायक का धरना समाप्त हुआ.

जेल में बंद आरोपी की तबीयत बिगड़ी

जबलपुर, 25 फरवरी. सिहोरा थाना अंतर्गत आजाद चौक में हिंसा मामले में जेल भेजे गए एक आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसे तत्काल उपचार के लिए मेडिकल रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है. विदित हो कि आजाद चौक में मस्जिद और दुर्गा मंदिर आमने-सामने है. 19 फरवरी को गुरुवार की रात को लगभग 9:30 बजे मंदिर में आरती और मस्जिद में रमजान की नमाज हो रही थी. इस दौरान एक पक्ष ने लाउंड स्पीकर के शोर का विरोध शुरू कर दिया था . जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए थे. पथराव के साथ जमकर तोडफ़ोड़ हुई थी. सांप्रदायिक तनाव फैल गया था. उपद्रव में अब तक चार एफआईआर हो चुकी है.

बांधवगढ़ में हुई आठ टाइगर की मौत

हाईकोर्ट में फील्ड डायरेक्टर ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट

जबलपुर, 25 फरवरी. हाईकोर्ट के निर्देश पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की तरफ से टाइगरों की मौत के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी।

रिपोर्ट में बताया गया कि विगत 21 नवम्बर से 2 फरवरी तक कुल आठ टाइगरों की मौत हुई है। जिसमें चार टाइगरों की मौत प्राकृतिक थी तथा चार टाइगरों की मौत करंट के कारण हुई थी।

करंट लगने की सभी घटना सामान्य वन्य क्षेत्र में घटित हुई है। युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को स्टेट्स रिपोर्ट पर जवाब पेश करने के निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की गयी है। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दो टाइगर की मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई तथा एक-एक टाइगर की मौत कुएं में डूबने तथा प्राकृतिक बीमारी से हुई है। कोर व बफर क्षेत्र में स्थित विद्युत लाइन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि टाइगर रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली लाइन की सुदृढीकरण व वन्यजीव सुरक्षा मानकों के पालन हेतु विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को समय-समय पर पत्र लिखे गये है। इसके अलावा रिपोर्ट में पेट्रोलिंग व रात्रिकालीन गश्त के संबंध में भी जानकारी पेश की गयी। सरकार की तरफ से मुख्य याचिका पर भी जवाब पेश किया गया।

गौरतलब है कि भोपाल निवासी वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि दुनिया में टाइगर की कुल आबादी 5,421 है। जिसमें से भारत में 3167 टाइगर हैं और देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं। टागईर स्टेट होने के बावजूद भी साल 2025 में मध्य प्रदेश में 54 टाइगर की मौत हुई है। प्रदेश में साल 2022 में 43 मौतें,साल 2023 में 45 मौतें, साल 2024 में 46 मौतें हुई थी। देश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 1973 में मौत हुई थी। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद प्रदेश में सबसे अधिक टाइगरों की मौत साल 2025 में हुई है। सरकारी घोषणा बाघों की संख्या में बोतरी की तारीफ कर रही हैं। जंगलों में बाघ रहस्यमयी और अक्सर संदिग्ध हालात में मर रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि वन अधिकारियों बाघों की मौतों को वजह इलाके की लड़ाई में आपसी संघर्ष बताते है।

कागजों में सड़क मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

कागजों में सड़क बनाकर भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि सड़क नहीं होने के कारण गांव वासियों को आवाजाही में परेशानी होती है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदक को हलफनामा में जबाव पेश करने के आदेश जारी किये है।

एक नजर में

जुआ फड़ पर छापा, 14 आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर . लार्डगंज पुलिस ने राइट टाउन क्षेत्र में दबिश देकर ताश के पत्तों पर दांव लगा रहे 14 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है . पुलिस ने आरोपियों के पास से 24 हजार रुपये से अधिक की नकदी और ताश की गड्डी बरामद की है . लार्डगंज थाना प्रभारी नवल सिंह आर्य ने बताया कि राइट टाउन स्थित एक खंडहर के पास योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर दबिश दी . मौके पर अफरा-तफरी के बीच पुलिस ने 14 जुआरियों को दबोचा . पकड़े गए आरोपियों में सौरभ कोरी, मनीष रंगारे, सज्जू बेन, ब्रजेश वंशकार, सचिन जैन, शुभम साहू, धर्मेन्द्र कोरी, मधुर जैन, राहुल जैन, करण साहू, रोहित कोरी, पंकज जैन, अभिषेक जैन और आकाश सोनी शामिल हैं . पुलिस ने फड़ और जुआरियों की जामा तलाशी के दौरान कुल 24,420 रुपये और ताश के पत्ते जब्त किए हैं . सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है .

हाई स्कूल गणित परीक्षा में बना एक नकल प्रकरण

मुरैना . माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाएं जिले में सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित की जा रही हैं . मंगलवार को गणित विषय की परीक्षा के दौरान एक नकल प्रकरण तथा दो फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने का मामला सामने आया है . कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में आयोजित परीक्षा में कुल 29,315 परीक्षार्थियों में से 28,302 उपस्थित रहे, जबकि 1,013 अनुपस्थित रहे . यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी बी .एस . इंदौलिया ने दी . उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान कुल तीन प्रकरण दर्ज किए गए . अशासकीय शांति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अंबाह में एक परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया . इसके अतिरिक्त शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अंबाह में दो फर्जी परीक्षार्थी पाए गए, जिनके विरुद्ध बोर्ड के नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है . जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं तथा परीक्षा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्वक संपन्न हुई .

कॉम्बिंग गश्त में 271 फरार वारंटी दबोचे

ग्वालियर . होली के त्यौहार को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदतन अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिये शहर पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया . दरमियानी रात को शहर और देहात में एक साथ 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने कार्यवाही की . लगभग 5 घंटे तक पुलिस के जवान और अधिकारी एक्शन मोड में दिखाई दिये . इस बीच शहर और ग्रामीणों इलाकों से 271 फरार एवं स्थाई गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़कर हवालात में भेजा गया . इसके साथ ही 357 गुण्डों और हिस्ट्रीशीटरों के घर पहुंचकर उनकी सघन जांच की गयी .

लोकायुक्त पुलिस ने सरपंच को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

पन्ना, 25 फरवरी. ब्यूरो. पन्ना जिले मे त्रिस्तरीय पंचायती राज मे भ्रष्टाचार परवान च? चुका है नीचे से ऊपर तक बिना लेन देन कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश मे आया है जिसमें संभवत: पन्ना जिले का पहला मामला है जहां किसी सरपंच को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

पन्ना में पहली बार लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई

हासिल जानकारी के अनुसार लोकायुक्त पुलिस संभाग सागर ने आज ग्राम पंचायत चौपरा के सरपंच को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। आवेदक नंदलाल राठौर (निवासी ग्राम चौपरा) ने अपनी एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा के लिए कपिलधारा योजना के तहत कूप निर्माण हेतु आवेदन किया था। कूप निर्माण की स्वीकृति जनपद पंचायत शाहनगर से मिल चुकी थी और इसका कार्य मनरेगा के तहत होना था।

हितग्राही का आरोप है कि जब उसने कार्य शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत चौपरा के सरपंच जगत आदिवासी से संपर्क किया, तो सरपंच ने कार्य शुरू करने की अनुमति देने के बदले 11,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। सरपंच द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत नंदलाल राठौर ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर से की थी।

शिकायत के सत्यापन के बाद योजनाबद्ध तरीके से आज जैसे ही आवेदक ने सरपंच जगत आदिवासी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 5,000 सौंपे, पहले से तैनात लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पक? लिया। घटना के बाद पूरे जनपद कार्यालय में ह?कंप के हालात हो गये और जनपद में पदस्थ कर्मचारी इधर-उधर भागते नजर आए फिलहाल लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही जारी है। इस कार्यवाही में निरीक्षक कमल सिंह उइके, निरीक्षक रंजीत सिंह एवं लोकायुक्त सागर का स्टाफ मौजूद रहा।

कृषि उपज मंडी के पास मिली लाश

जबलपुर. गोहलपुर थाना अंतर्गत मनमोहन नगर कृषि उपज मण्डी गेट नंबर 02 के पास सुबह एक युवक का शव मिला. जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि विजय नगर निवासी रमेश खत्री ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे उनके भाई विजय कुमार ने फोन कर सूचना दी कि उनकी दुकान के सामने, मेन रोड के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति अचेत पड़ा है. सूचना मिलते ही जब रमेश मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि 40 वर्षीय एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था. पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

संभागीय हाट बाजार में आजीविका मार्ट शुरू

मुख्यमंत्री डॉ . मोहन यादव ने किया वर्चुअल शुभारंभ

ग्वालियर, 25 फरवरी. फूलबाग के समीप स्थित संभागीय ग्रामीण हाट बाजार में स्व-सहायता समूहों की दीदियों के उत्पादों को बाजार एवं शहरवासियों को ये उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये आजीविका मार्ट स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को ग्वालियर के आजीविका मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया। आजीविका मार्ट में ग्वालियर संभाग के सभी जिलों के स्व-सहायता समूहों की दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बिक्री के लिये उपलब्ध हैं। साथ ही ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील के स्व-सहायता समूहों के ज्योति सीएलएफ के आजीविका एक्सप्रेस वाहन को हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया गया। यहाँ फूलबाग स्थित संभागीय हाट बाजार में इस अवसर पर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह घुरैया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के डीपीएम विनीत गुप्ता तथा स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं दीदियां मौजूद थीं।

कल से लगेगा होली मेला

फूलबाग स्थित संभागीय हाट में 27 व 28 फरवरी को होली के रंग, आजीविका के संग होली मेला लगेगा। इस मेले में संभाग भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं दीदियां एक से बढ़कर एक उत्पाद लेकर आयेंगीं। यह मेला दोनों दिन दोपहर 12 बजे से देर शाम 8 बजे तक आम जनता के लिये खुला रहेगा। इस मेले में प्रकृति एवं पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर विशेष रूप से तैयार किए गए प्राकृतिक रंग, पूजन सामग्री, गौ-काष्ठ, गोबर की गुलेरी, गणेश, धूपबत्ती, गुजियां व अन्य प्रकार की मिठाईयां, नमकीन एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्त्र बिक्री के लिये उपलब्ध रहेंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के चंद महीनों बाद बर्खास्तगी

खंडवा। महिला एवं बाल विकास विभाग छैगांवमखन के अंतर्गत ग्राम छोटा भैरूखेड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत राजनंदनी जयदीप की सेवा समाप्ति का मामला अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस कार्रवाई के विरोध में पीड़ित कार्यकर्ता ने न्याय की गुहार लगाते हुए संभागीय आयुक्त इंदौर के समक्ष अपील दायर की है। शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी, जब विभाग द्वारा राजनंदनी को भैरूखेड़ा केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था, तब से ही वे लगातार केंद्र का संचालन कर रही थीं और विभागीय कार्यों में संलग्न थीं।

विवाद तब उत्पन्न हुआ जब अचानक 6 फरवरी 2026 को परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा छैगांव माखन द्वारा एक नया आदेश क्रमांक जारी किया गया। इस आदेश के तहत बिना किसी ठोस पूर्व सूचना या विस्तृत जांच के राजनंदनी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं और उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। पूर्व में हुई नियुक्ति और महज कुछ महीनों के भीतर बिना स्पष्ट आधार के की गई सेवा समाप्ति को कार्यकर्ता ने न्याय के के विरुद्ध बताया है। वर्तमान स्थिति में, अपनी बर्खास्तगी को अवैध और एकपक्षीय मानते हुए राजनंदनी ने उच्चाधिकारियों की शरण ली है। उन्होंने संभागीय आयुक्त कार्यालय में अपनी अपील दर्ज कराते हुए मांग की है कि विभाग के इस दोषपूर्ण आदेश को निरस्त किया जाए और उन्हें पुन: पद पर बहाल किया जाए। उन्होंने परियोजना अधिकारी को भी लिखित आवेदन देकर अवगत कराया है कि उनकी अपील अब आयुक्त स्तर पर विचाराधीन है।

शिक्षा का महत्व | **धरती आबा ग्राम सलैया के कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल मंगुभाई पटेल**

शिक्षा से ही जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 25 फरवरी, राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि शिक्षा से ही जीवन में आगे बढने का मार्ग प्रशस्त होता है. पढ़-लिख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है. इसलिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मुहैया कराना आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ जनजातीय व गरीब वर्ग के लोगों को प्राथमिकता से दिलाने का कार्य किया जाना चाहिए ताकि वह देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर भागीदार बन सकें.

राज्यपाल मंगुभाई पटेल मऊगंज जिले के हनुमना जनपद अंतर्गत दूरस्थ जनजातीय धरती आबा ग्राम सलैया खास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. राज्यपाल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अल्प आयु में ही देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था. धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदिवासियों के उत्थान के लिए वरदान साबित होगी. इस योजना के तहत 18 विभागों द्वारा उनकी योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों को मिलेगा. राज्यपाल जी ने आदिवासी युवाओं का आह्वान किया कि वह शिक्षित होकर अपने समाज के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करें क्योंकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए इस योजना से लाभ लेकर बराबरी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है.

> उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाएं विकास की राह पकड़ चुकी हैं. उनमें आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण प्रस्तुत हुआ है. श्री पटेल ने कहा कि यह उनका मऊगंज जिले का प्रथम प्रवास है. यहां जनजातीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग निवास कर रहे हैं. उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. पटेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को साधुवाद दिया जिनके प्रयासों से देश में सिकल सेल उन्मूलन के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025 . ईमेल : hfquery@motilaloaswal.com.
सीआईएन संख्या : U65923MH2013PLC248741

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित . एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा . बकाया राशि और अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित किया गया है . www.motilaloswalhf.com" पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार :-

ई-नीलामी की तिथि और समय : 30-3-2026/सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक (प्रत्येक 15 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिमा राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1.	**LAN: LXPIT00217-180064392** **शाखा :** पीथमपुर **ऋणकर्ता :** आकाश वर्मा **सह-ऋणकर्ता :** सुमन वर्मा	11-11-2025 रुपये 536858/- (रु . पांच लाख छत्तीस हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)	सर्वेक्षण संख्या 826/4, पैकी, ग्राम- माजरा, तेलीखेड़ा, पीएच नं .-4/1, मऊगांव, तहसील- मऊ, जिला- धार, इंदौर, मध्य प्रदेश- 453441 पर स्थित भूमि .	**आरक्षित मूल्य :** रुपये 1000000/- (रुपये दस लाख मात्र) **ईएमडी :** रुपये 100000/-(रु . एक लाख मात्र) **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि :** 29-03-2026

नियम एवं शर्तें :- 1 . नीलामी बोली दस्तावेज में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी . बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी एवं सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली प्रपत्र के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल- https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं . इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और **मनीष कुमार ओमप्रकाश यादव 7045567028, योगेश राजेश मधौरिया- 9630866533, भूपेन्द्र खिची- 9372704781** से संपर्क कर सकते हैं . विवरण उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं- +91 83709 69696, ई-मेल आईडी- contact@auctionbazaar.com.

एसडी/-
स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 26 .2 .2026
अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.
प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)